इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 504] भोपाल, सोमवार, दिनांक 18 सितम्बर 2017—भाद्र 27, शक 1939

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2017

क्र. एफ-52-1-2017 अड़तीस-3.—यत:, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू के कार्यकलापों के कुप्रबंध के संबंध में उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट तथा सामग्री के आधार पर राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उद्‌भूत हो गई हैं जिसमें उक्त विश्वविद्यालय का प्रशासन डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2015 (क्रमांक 2 सन् 2016) के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय के हितों का उपाय किए बिना नहीं चलाया जा सकता है और विश्वविद्यालय के हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2015 (क्रमांक 2 सन् 2016) की धारा 44 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा 2, 3, 4 और 5 के उपबंध उक्त विश्वविद्यालय को 18 सितम्बर, 2017 से लागू होंगे.

No. F -52-1-2017-XXXVIII-3.—WHEREAS, on the basis of a report and material which has been made available regarding mismanagement of affairs of Dr. B. R. Ambedkar University of Social Scinces, Mhow (Indore), the State Government is satisfied that a situation has arisen in which the administration of the said University cannot be carried out in accordance with the provisions of the Dr. B. R. Ambedkar University of Social Scinces Act, 2015 (No. 2 of 2016) without detriment to the interests of the university and it is expedient in the interest of the University so to do;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 44 of the Dr. B. R. Ambedkar University of Socail Sciences Act, 2015 (No. 2 of 2016), the State Government, hereby, directs that the provisions of the sub-section, 2, 3, 4 & 5 the said Act, shall apply to the university form the date 18th September 2017.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. नायडू, अपर मुख्य सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.